

**IN THE COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-1st,
-CUM-SPECIAL JUDGE SC/ST (PoA) ACT, PURNEA**

मरंगा थाना कांड संख्या 392 / 2025

CIS No. 123/2026

सरकार बनाम मो. सकीम वगैरह

Date of Order	Order with initials of the court	Action taken by office with date
02.06.2026	अभिलेख प्रस्तुत किया गया। विदित है कि इस मामले में अभियुक्त मो. सकीम, मो. सहजाद, मो. तसलीम, मो. हलीम, मो. कलीमुद्दीन, मो. अकबर एवं मेमेजुन के विरुद्ध अनुसंधान पश्चात अंतिम प्रतिवेदन तथ्य की भूल दर्शित करते हुए दाखिल है। सूचक को सुनवाई हेतु दिनांक 24.03.2026 को नोटिस निर्गत किया जा चुका है। नोटिस के बावजूद न्यायालय में सुनवाई हेतु सूचक उपस्थित नहीं हुए हैं। अंतिम प्रतिवेदन की स्वीकृति के बिन्दू पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। विदित है कि अनुसंधानोपरांत अन्वेषक के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन तथ्य की भूल दर्शित करते हुए समर्पित किया गया है। काण्ड दैनिकी की पारा 24 में सूचक द्वारा प्राथमिकी आवेदन में वर्णित काण्ड तथ्यों पर ही एस.सी./एस.टी थाना काण्ड संख्या-96/2025 दिनांक 20.11.2025 सूचक द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया होना वर्णित किया गया है और पुनः प्रश्नगत यह प्राथमिकी भी दर्ज होने का तथ्य वर्णित करते हुए अन्वेषक द्वारा भूल दर्शित करते हुए अंतिम प्रतिवेदन दाखिल किया गया है। विचारोपरांत अनुसंधान में अनुसंधानक द्वारा दिये गये अंतिम प्रतिवेदन काण्ड दैनिकी में संकलित सामग्री के आलोक में न्यायोचित दाखिल प्रतीत होता है। तदनुसार यह स्वीकार योग्य है। अतएव, मरंगा थाना कांड सं० 392/2025 से संबंधित यह अंतिम रिपोर्ट संख्या 02/2026 दिनांक 03.01.2026 को स्वीकार किया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को दाखिल दफ्तर करें। लेखापित ह० / - (नरेन्द्र कुमार) विशेष न्यायाधीश	
Date of order	02.06.2026	
Date of reserving order	-----	
Uploading date	04.06.2026	
Uploaded by	Chandan Singhaniya C.R.-cum-D.W.	